



Hkkj r l jdkj
[kku ea=ky;
Hkkj rh; [kku C; ij kj
{ks=h; [kku fu; a=d dk; kZy;
f}rh; ry] th0 , l 0 vkbD OhYM Af'k{k.k dln] egkys[kkdkj dk; kZy; ifj l j]
i klV&fo/kkul Hkk] jk; ij &492005 %NUkh x<#
Oku , oa QDI &0771&2282530] 2285590/95 b&esy% ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/SRG/BX/07CHG16012

खान कोड-07CHG16012

दिनांक:-08.04.2022

प्रेषित-

प्रबंध संचालक,
सर्वश्री सी. एम. डी. सी लिमिटेड,
सेक्टर -24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स,
ब्लाक-7अ, तृतीय तल, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़ -492015
ईमेल- cmdcraipur@gmail.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपके केसरा बॉक्साइट खदान 13.13 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में |

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 15.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी एवं इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री ए. पी. साह, क्षेत्रीय प्रबंधक कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है |

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
27(2)	In compliance to the Gazette notification no. G. S. R. 780 (E) dated 03rd November 2021, the difference of financial assurance (FA) as required under Rule 27(1) and the FA already submitted in the form of a bank guarantee (BG) has not been submitted to this office within 90 days from the date of notification.
45(5)(C)	While scrutiny of annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i) At part – I of table no. 12, the lease area (surface area) utilization at the end of the year has not been furnished. ii) At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly. v) At part-V, point 4.4, the plantation reported incorrectly within the lease area. vi) At part-V-Sec-5, the details information for the types of machinery used is not furnished. vii) The cost of production, ex-mine price & sale price are incorrectly cited as rupees 885/-.
55	Part time Geologist has not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत |

- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।
(ख) भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों का न्योजन न करने पर 500000/- रुपये भुगतान करना होगा।
(ग) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(घ) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ङ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 27(2) एवं 55 का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
04. अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 45(5)(C) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यों न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए। (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर की जाए। (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए।

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक (सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(रुद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर